मुख्य अभियंता-2 (गया) का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक- मु0अ0-2/निविदा-09-158/25
प्रेषक, पटना, दिनांक-

ई० अनिल कुमार
मुख्य अभियंता-2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, गया।

विषय- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन शीर्ष (MGSY) मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-"SETU/MGSY/24-25/Imamganj/03" (टेण्डर आई०डी०-140472) में पुल निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक-मु0अ0 (नि0) मु0रो0यो0-385/2025-3844 अनु0 पटना, दिनांक-25.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन शीर्ष (MGSY) मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत अन्तर्गत पैकेज संख्या-"SETU/MGSY/24-25/Imamganj/03" (टेण्डर आई०डी०-140472) में पुल निर्माण अनुरक्षण कार्य आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर उद्धृतकर्त्ता **Ajay Kumar (Bid ID-615212)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से 0.20 (शून्य दशमलव दो शून्य) **प्रतिशत** कम पर अर्थात 7,24,80,059 (**सात करोड़ चौबीस लाख अस्सी हजार उनसठ**) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय **पत्रांक-मु0अ0 (नि0) मु0रो0यो0-385/2025-3844 अनु0** पटना, दिनांक-**25.07.2025** के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वोधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये राशि एवं एकरारनामा के लिए जमा की गई बैंक गारन्टी का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीबार/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेंगे की पथ स्वीकृत पुल जिस पथ के आरेखण में है, उस के हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।

एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

अजय कुमार

29/9/25

Executive Engineer
RWD Work Division
IMAMGANJ (GAYA)

29/9/25

29.9.25